राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक:- प.6(6)राज-6/99/47 जयपुर, दिनांक:- 15.9.2001

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम संख्या-15) की धारा 101 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 261 की उप-धारा (2) के खण्ड (xl/ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) (संशोधन) नियम, 2001 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 12 का संशोधन:- राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970, जिन्हें इसमें आगे उक्त नियम कहा गया है, के नियम 12 का विद्यमान परन्तुक (ii) हटाया जायेगा।

3. नियम 20 का संशोधन:- उक्त नियमों के नियम 20 के विद्यमान उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(1) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार के किसी विशिष्ट या सामान्य आदेश के अध्यधीन रहते हुए, उपखण्ड अधिकारी सलाहकार समिति की सलाह पर, किसी अतिचारी को उसके द्वारा किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अधिभुक्त किसी भूमि से बेदखल करने के बजाय उसे ऐसी भूमि प्रतिधारित करना अनुज्ञात कर सकेगा, यदि वह कोई भूमिहीन कृषक हो और ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित भूमि का कुल क्षेत्रफल इस प्रकार आवंटित भूमि सहित 15 बीघा से अधिक नहीं हो और यह कि इस प्रकार आवंटित भूमि उक्त नियमों के नियम 14 में विनिर्दिष्ट प्रवर्गों में नहीं आती हो:

क्रमशः....2 पर

परन्तु यह कि आठ मरूस्थलीय जिले अर्थात् बाड़मेर, जोधपुर, चुरू, पाली, जैसलमेर, नागौर, बीकानेर और जालौर जहाँ अतिचारित भूमि का क्षेत्रफल 15 बीघा से अधिक है वहां ऐसी अधिक भूमि से अतिचारी को बेदखल करने के बजाय उसे निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए 10 बीघा से अधिकतम क्षेत्रफल तक ऐसी अधिक भूमि प्रतिधारित करना अनुज्ञात किया जा सकेगा :-

§ i § ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित भूमि का कुल क्षेत्रफल आवंटित भूमि सहित 25 बीघा से अधिक नहीं हो ।

§ ii § 15 बीघा से अधिक क्षेत्रफल के लिए, सामान्य प्रवर्ग के अतिचारी से पड़ौस की कृषि भूमि की विद्यमान बाजार कीमत का 50% प्रभारित किया जायेगा और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्गों / गरीबी रेखा से नीचे के अतिचारी से पड़ौस की कृषि भूमि की विद्यमान बाजार कीमत का 25% प्रभारित किया जायेगा ।

4. अनुसूची I का संशोधन.- विद्यमान अनुसूची I हटायी जायेगी ।

राज्यपाल के आदेश से,

§ एल० एन० शर्मा §
शासन उप सचिव